



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 अगस्त, 2021

भाद्रपद 4, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-1

संख्या 367/59-1-2021-35(के०बी०)-83

लखनऊ, 26 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प०आ०-287

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1960) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित सदस्यों को, एक वर्ष की अवधि के लिए, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा उनका कार्यकाल पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नियुक्त करती हैं :-

1-श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान, पुत्र स्व० राजाराम, 225, लाजपत नगर, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

2-श्री लल्लन तिवारी, पुत्र स्व० सुखचरन तिवारी, ग्राम व पोस्ट लुहसी, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

3-श्री वंशलाल कटियार, पुत्र स्व० शंभूदयाल, ग्राम देवनपुर, पोस्ट सिलहरा, जिला कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश।

4-श्री दिलीप सोनकर, पुत्र स्व० प्यारेलाल सोनकर, सा० 4/2 A-3, दौलतपुर, पाण्डेपुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

5-श्री राम सुन्दर चौधरी, पुत्र स्व० संतराम चौधरी, मोहल्ला रायपुर राजा, पुलिस लाइन रोड, इन्द्रा कालोनी, गली नं०-1, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश।

6—श्री रमा शंकर शुक्ल, पुत्र स्व० रामेश्वर प्रसाद शुक्ल, ग्राम सुपराबारी, पो० सिंगरामऊ (सहस्रौं), जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

7—श्री महेन्द्र सिंह आचार्य, पुत्र स्व० लाला राज जी, ग्राम व पोस्ट मई, तहसील सादाबाद, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 367/LIX-1-2021-35(K.B.)-83, dated August 26, 2021:

No. 367/LIX-1-2021-35(K.B.)-83

Dated Lucknow, August 26, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 5 of the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1960 (U.P. Act no. 10 of 1960), the Governor is pleased to appoint the following members for a period of one year from the date of publication of this notification in the *Gazette*, unless their term is determined earlier by the State Government by notification in the *Gazette* as non-official members of the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board :-

1. Shri Ram Gopal Urf Gopal Anjan, S/o Late Rajaram, 225, Lajpat Nagar, Thana Katghar, district Moradabad, Uttar Pradesh.
2. Shri Lallan Tiwari, S/o Late Sukh Charan Tiwari, Village and Post Luhasi, district Gorakhpur, Uttar Pradesh.
3. Shri Vanshlal Katiyar, S/o Late Shambhu Dayal, Village Devanpur, Post Silehara, district Kanpur Dehat, Uttar Pradesh.
4. Shri Dileep Sonkar, S/o Late Pyarelal Sonkar, SA 4/2A-3, Daulatpur, Pandepur, district Varanasi, Uttar Pradesh.
5. Shri Ram Sundar Chaudhary, S/o Late Santram Chaudhary, Mohalla Raipur Raja, Police Line road, Indra Colony, Gali no.-1, district Bahraich, Uttar Pradesh.
6. Shri Ramashankar Shukl, S/o Rameswar Prasad Shukl, Village Suparabari, Post Singramau (Sahson), district Prayagraj, Uttar Pradesh.
7. Shri Mahendra Singh Aacharya, S/o Late Lalaraj Ji, Village and Post Mai, Tahsil Sadabad, district Hathras, Uttar Pradesh.

By order,
NAVNEET SEHGAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 289 राजपत्र-2021-(627)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० खादी तथा ग्रामोद्योग-2021-(628)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।